न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/51

1. गोपाल पुत्र जैल्या
2. कुलदीप सिंह मीना पुत्र हरलाल
   समस्त जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा, जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र हरचन्दा जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।
2. भागचन्द,
3. जगदीश,
4. कृपाल,
5. कमलेश,
6. बुधा,
   पुत्रान् भजनीराम जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।
7. कैलाश पुत्र पून्या
8. नीतू पत्नी कमलेश
9. गल्लो पत्नी भागचन्द
   जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

10. दिलीप सिंह पुत्र हरलाल जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा दिनांक 10.10.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट उनवानी रामस्वरूप बनाम भागचन्द मुकदमा नंबर 28/2022 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री नवीन कुमार गुर्जर, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री राम कृपाल मीना, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4, 6 व 9 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 7, 8, 10 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक—31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.10.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.व प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 318 पुराना 288 आराजी खसरा नम्बर 1978/2349 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1990/2350 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि वाके ग्राम करनावर, तहसील बसवा, जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना—पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये गये कि खाता संख्या नया 318 पुराना 288 आराजी खसरा नम्बर 1978/2349 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1990/2350

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि वाके ग्राम करनावर, तहसील बसवा, जिला दौसा की नियमानुसार पत्थरगढी करवावें एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद लिये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 पारित किये गये हैं ।

3. उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 10.10.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट गोपाल पुत्र जैल्या वगै0 द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी.एवं दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा दिनांक 10.10.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्याय के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। पत्थरगढी के प्रकरणों में पडौसी खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना कानूनन जरूरी है और उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अन्य खसरा नं. के साथ–साथ खसरा नं. 555 की पत्थरगढी करवाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया था। खसरा नं. 555 के लगते हुये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 554 स्थित है। कानूनन अपीलाण्ट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन जरूरी था, परन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने दुर्भावना पूर्वक अपीलाण्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कतई गौर नहीं करके कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 554 रकबा 0.4300 हैक्टे. और रेस्पोडेन्ट सं. 01 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 555 रकबा 0.24 हैक्टे. की सीमायें लगती हुई है। सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अहलाकारान ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 554 का नक्शा ट्रेस उसके रकबे 0.4300 हैक्टे. से 2 ऐयर कम का बना दिया और रेस्पोडेन्ट सं. 01 की भूमि खसरा नं. 555 का नक्शा उसके रकबे 0.24 हैक्टे. से 2 ऐयर ज्यादा भूमि का बना दिया। वर्तमान नक्शा ट्रेस खसरा नं. 554 एवं 555 का साबिका नक्शा ट्रेस के विपरीत बनाया हुआ है। अपीलाण्ट ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बसवा के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 554 के नक्शे–ट्रेस क़ो उसके साबिका नक्शे ट्रेस के मुताबिक दुरूस्त करवाने बाबत मुकदमा उनवानी गोपाल वगै. बनाम रामस्वरूप वगै. पेश किया हुआ है, जो जैर विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों को छुपाकर झूठा प्रार्थना–पत्र पेश किया था। अपीलाण्टगण मौके पर साबिका नक्शा ट्रेस के मुताबिक काबिज काश्त है।

अपीलाण्ट ने अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 554 के दक्षिण की ओर स्थित खसरा नं. 555 की तरफ अपनी सीमा पर पुख्ता गड्डू गाड़कर तारबन्दी की हुयी है। अपीलाण्ट ने अपनी पुख्ता तारबन्दी के पास में होकर अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 554 में होकर शामलाती चाह खसरा नं. 556 तक तथा खसरा नं. 553 की सीमा तक रास्ता भी छोड़ रखा है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने गलत नक्शा ट्रेस की आड में बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 10.10.2023 के आदेश करवाये है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। हाल राजस्व नक्शा ट्रेस खसरा नं. 555 को उसके रकबे 24 ऐयर से लगभग 2 ऐयर ज्यादा बडा बनाया हुआ है। अगर उक्त गलत नक्शे के आधार पर मौके पर पत्थरगढी की जाती है, तो अपीलाण्ट के साथ अन्याय होगा। अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, मौके पर पक्षकारान में विवाद होने की पूर्ण संभावना है। इस कारण मातहत अदालत के निर्णय को निरस्त किया जाना कानूनन, इंसाफन न्यायोचित है तथा अपील के निर्णय तक निर्णय दिनांक 10.10.2023 की क्रियान्विति स्थगित किया जाना भी कानूनन जरूरी है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अपीलाण्ट को

बदनियति पूर्वक पक्षकार नही बनाया था। इस कारण धारा 96 का प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के साथ अलग से पेश है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 554 रेसपोडेन्ट नं. 01 की खातेदारी भूमि जिसकी पत्थरगढी की जानी है। खसरा नं. 555 के लगती हुई है। कानूनन पत्थरगढी के प्रकरण में सभी पडौसी खातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं जिन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन जरूरी है। अपीलाण्ट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हे अपील करने की अनुमति दिया जाना कानूनन जरूरी है। अपीलाण्ट सं. 02 के पिता हरलाल खातेदार है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हरलाल के दूसरे पुत्र दिलीप सिंह बाहर सर्विस करते है, जो अपील करने के समय उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें तरतीबी रेस्पोडेन्ट नं. 10 बनाया गया है।

अपीलाण्टगण को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। दिनांक 20.05.2024 को पटवारी हल्का के पास अपने राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने गये, तब पटवारी हल्का ने उक्त निर्णय के बारे में बताया और दिनांक 06.06.2024 को वर्तमान नक्शा के मुताबिक पत्थरगढी करने की बात कही। इससे पूर्व अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं रही है। पटवारी हल्का द्वारा बताने पर अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त करके अपील अंदर मियाद पेश है। किसी प्रकार की अन्य कानूनी अडचन उत्पन्न ना हो। इस कारण दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.10.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा दिनांक 10.10.2023 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा0 4, 6 व 9 के अधिवक्ताओं ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त खाता संख्या नया 318 पुराना 288 आराजी खसरा नम्बर 1978/2349 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1990/2350 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि वाके ग्राम करनावर, तहसील बसवा, जिला दौसा में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि इनको आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट ने इनकी जमीन की पत्थरगढी नहीं करवाई है। अपनी जमीन की ही पत्थरगढी करवायी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.05.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा

5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी को पडौसी खातेदार होने के बावजूद भी सुना नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय में दुरस्ती का दावा विचाराधीन होना तथा दौराने बहस अवगत कराया गया है। जिसके कारण अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन दावों के आलोक में समरी जांच पश्चात् पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन दावों के आलोक में समरी जांच पश्चात् पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/682

1. अमीचन्द पुत्र श्री जयमल
2. ख्यालीराम पुत्र सोहनलाल
3. गुलाब पुत्र जयमल
4. झाबर पुत्र सोहनलाल
5. लीलाराम पुत्र सोहनलाल
6. सुण्डाराम पुत्र जयमल
7. हरपाल पुत्र सोहनलाल
8. सोहनलाल पुत्र लादूराम
9. हट्टाराम पुत्र लादूराम
10. बोदाराम पुत्र लादूराम
11. रामजीलाल पुत्र लादूराम
12. धल्लाराम पुत्र लादूराम
13. जयमल पुत्र लादूराम
14. रामशरण पुत्र हट्टाराम
15. दिलीप पुत्र हट्टाराम
16. राजेश पुत्र हट्टाराम
17. कमली पत्नी हट्टाराम
18. मिश्री पत्नी सोहनलाल
19. छोटी देवी पत्नी हरपाल
20. धोली पत्नी लीलाराम
21. काली पुत्र सोहन
22. सुरता देवी पत्नी धल्लाराम
23. रामेश्वरी पत्नी जयमल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदपुरी तहसील नारायणपुर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्ली देवी पत्नी हरिराम
2. कविता देवी पत्नी मुकेश

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदपुरी तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 03.07.2023 मु0नं0 03/2009 उनवानी कल्ली देवी बनाम सोहनलाल वगै0 धारा 128 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री राजाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री शम्भूदयाल पुजारी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 03.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के समक्ष एक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढ़ी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 257 आराजी खसरा नम्बर 825/157 रकबा 0.85 है0, 827/159 रकबा 1.23 है0, 829/168 रकबा 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम चांदपुरी, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राज. में स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर द्वारा हाल रेसपोडेन्ट संख्या 01 व 02 का पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर को आदेश दिये गये कि विवादित खाता संख्या 257 आराजी खसरा नम्बर 825/157 रकबा 0.85 है0, 827/159 रकबा 1.23 है0, 829/168 रकबा 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम चांदपुरी, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर की पत्थरगढ़ी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित किये गये हैं ।

3. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स अमीचन्द पुत्र श्री जयमल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 03.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व उसमें प्रभावित पक्षकारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की आड में खसरा नम्बर 1 खाता संख्या 154 आम रास्ते की भूमि तथा खसरा नम्बर 160 चारागाह में बने बच्चों को दफनाने हेतु शमशान पर अवैध कब्जा करने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। विधि अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट समस्त पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना आवश्यक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में एकतरफा सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर किसी भी पडौसी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी एकतरफा रिपोर्ट से अपीलार्थी प्रतिबंधित नहीं होने के पश्चात भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण का अपीलाधीन भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त नहीं हैं। कब्जा करने की नियत से पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं। पत्थरगढी के आदेश की आड में जबरन पुलिस प्रशासन की सहायता से कब्जा काश्त करना चाहते हैं। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। विधि अनुसार पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय चारों दिशाओं के पडौसी खातेदार काश्तकारों को पक्षकार संयोजित कर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तो किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से एवं अपीलाधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदारों को भी पक्षकार कायम नही किये जाने की वजह से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 03.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। जिसमें अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे है, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तलबी नोटिस जारी किये गये है। खाता संख्या 257 आराजी खसरा नम्बर 825/157

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 0.85 है0, 827/159 रकबा 1.23 है0, 829/168 रकबा 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम चांदपुरी, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राज. में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होनें यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बेजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है। जिसमें पडौसी सहखातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जॉच भी नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत ऑनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति में दर्शित खसरा सीमा तथा सीमाज्ञान में दर्शित की गई खसरा सीमा में भिन्नता है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व नक्शे के अनुसार उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर समरी जॉच पश्चात् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व नक्शे के अनुसार उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर समरी जॉच पश्चात् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर